भारत सरकार
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय
केंद्रीय संचार ब्यूरो
सूचना भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली

फा. सं. 17/0025/2526-एमआर एण्ड सी

दिनांक: 13. 02.2026

परामर्शिका

विषय : दर नवीनीकरण 2025

कृपया दिनांक 29.01.2026 की परामर्शिका सं. 17/0017/2526- एमआर एण्ड सी और दिनांक 30.06.2025 की सं. 14/0002/2324- एमआर एण्ड सी का संदर्भ लें।

सभी प्रकाशकों, जिन्होंने दर नवीनीकरण के लिए आवेदन किया था, को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि सीबीसी, प्रिंट मीडिया विज्ञापन नीति, 2020 के अनुसार उपयुक्त पाए गए प्रकाशकों को दर संविदा जारी कर रहा है। इन प्रकाशकों को दर संविदा जारी किया जा रहा है और यह दिनांक 16.02.2026 से 31.12.2027 तक लागू रहेगा।

जिन प्रकाशकों की नवीनीकरण प्रक्रिया सभी प्रकार से पूर्ण है, वे अपने लॉगिन एरिया में अपना अनुमोदित दर कार्ड देख सकते हैं और नवीकृत दरों के संबंध में अपनी ऑनलाइन स्वीकृति दिनांक 20.02.2026 तक दे सकते हैं। प्रकाशक **कृपया ध्यान दें कि दर संविदा की ऑनलाइन स्वीकृति बिना, उन्हें सीबीसी पैनल पर पैनलबद्ध नहीं किया जाएगा।**

नीति के अनुसार जो प्रकाशक आज की तिथि तक नवीनीकरण के लिए उपयुक्त नहीं हैं, उनको एतद्वारा सूचित किया जाता है कि उन्हें अपनी कमियों को ठीक करके 1 सप्ताह के भीतर अपने आवेदन दोबारा जमा करने का आखिरी अवसर देने का निर्णय लिया गया है। उनके मौजूदा दर संविदा की वैधता की अवधि दिनांक 02.03.2026 तक बढ़ा दी गई है।

संशोधन हेतु विंडो दिनांक 28.02.2026 तक खुली रहेगी। कृपया ध्यान दें कि अवधि आगे नहीं बढ़ाई जाएगी।

यह महानिदेशक, सीबीसी के अनुमोदन से जारी किया गया है।

(इरशाद अली)
सहायक निदेशक